

दिनेश कुमार, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज,  
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 205

जयपुर, 02.11.2020

### आदेश


विषय -कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब भुगतान शुल्क माफी योजना।

कोविड-19 महामारी जनित आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए थे, उन्हें राहत देते हुए आदेश क्रमांक-अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 183 जयपुर दिनांक 25.09.2020 द्वारा कृषि उपभोक्ताओं द्वारा लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छुट प्रदान की गई थी।

यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) के उपभोक्ताओं के लिए भी 31 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी थी।


उक्त विलम्ब भुगतान शुल्क माफी योजना की अवधि को 30 नवम्बर, 2020 तक की अवधि के लिये बढ़ाया जाता है।

उक्त आदेश तीनों वितरण निगमों में लागू होगा।

  
(दिनेश कुमार)  
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

  
अध्यक्ष डिस्कॉम्स